न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/2018

1. शान्ति पत्नी गुलाबाराम
2. माडूराम पुत्र गुलाबाराम
3. बुधराम पुत्र गुलाबाराम
4. अर्जनराम पुत्र गुलाबाराम (मृतक)

4/1 चन्द्र कला पत्नी अर्जनराम

4/2 गीता देवी पुत्री अर्जनराम

4/3 स्नेहलता पुत्री अर्जनराम

4/4 हेतराम | पिसरान अर्जनराम नाबालिग जरिये

4/5 समेस्ता | कुदरती वली माता चन्द्र कला

जाति मेघवाल निवासी 1 एम.एम. तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

5. गुडडी देवी पुत्री गुलाबाराम पत्नी बाबूराम जाति मेघवाल निवासी गांव फरसेवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. रूपली पुत्री गुलाबाराम जाति मेघवाल निवासी 1 एम.एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. सरोज पुत्री गुलाबाराम पत्नी सुनील जाति मेघवाल निवासी 23 के.एन.डी.बी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. मांगू उर्फ मागूराम पुत्र गुलाबाराम जाति मेघवाल निवासी 17 के.एन.डी.ए तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोपी चन्द पुत्र बिश्नाराम जाति नायक निवासी 17 के.एन.डी.ए. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त.अधि. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 09.01.2018

उपस्थिति :-

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़/श्रीगंगानगर

श्री अजय तनेजा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रीतम सिंह गिल अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 12.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा. पत्र उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर अपनी भूमि में आने-जाने के लिए अप्रार्थीगण के चक 19 के.एन.डी. बी. के मु.नं. 192/27 के कि.नं. 5 व 6 में से रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रा.पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये। अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 11.12.2017 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर आवेदित रास्ता दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण के नाम से जो रजि. नोटिस जारी किये गये थे, उन पर यह रिपोर्ट आई कि प्राप्तकर्ता 17के.एन.डी. में नहीं रहते हैं एवं भागुराम के लिफाफे पर यह रिपोर्ट आई कि लेने से इन्कार, जबकि अपीलांट सं. 4 की मृत्यु दिनांक 03.11.2011 को ही हो चुकी थी। अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को जरिये रजि. नोटिस से तलब किया गया था, तत्पश्चात समाचार पत्र में नोटिस साया करवाये गये थे। किन्तु अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया

गया था। रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के नाम से जो रजि.नोटिस पेश किये गये है उनमें अपीलांट सं. 8 भागुराम को छोड़कर सभी इस आशय रिपोर्ट से वापिस आए हैं कि वे 17के.एन.डी. में नहीं रहते हैं एवं भागुराम के नोटिस पर यह रिपोर्ट आई है कि लेने से इन्कार। तत्पश्चात समाचार पत्र में जो नोटिस जारी करवाये गये हैं वे भी 17 के.एन.डी. का पता अंकित करते हुए प्रकाशित करवाये है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को कोई विधिवत सूचना होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दफा 5 मियाद में जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त अर्जनराम की मृत्यु दिनांक 03.11.2011 को होना अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में अंकित किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अर्जनराम मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा राज.काश्त.अधि. की धारा 251क एवं उसकी कियान्विति हेतु नियम 69 की पालना किया जाना भी नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2018 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर राज.काश्त. अधि. की धारा 251क एवं उसकी कियान्विति हेतु बने नियम 69 की पालना कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प न्यायालय